



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23006

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3805/2026

अजय कुमार

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 14 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: जितेन्द्र सिंह, सोनम सिंह, तेज प्रताप सिंह, युवराज सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची, जो एक ग्रामीण है, ने अधिकारियों को ग्राम रसूलपुर, परगना कोटला तहसील खागा जनपद फतेहपुर की ग्राम प्रधान शाहीन द्वारा दायर आवेदन दिनांक 20.02.2026 को तय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर की है।
2. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त गाँव के ग्राम प्रधान द्वारा उपर्युक्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद, वर्तमान याची द्वारा उक्त आवेदन को तय करने हेतु वर्तमान याचिका दायर की गई है। वास्तव में उक्त गाँव के ग्राम प्रधान याची के माध्यम से वर्तमान याचिका दायर करना चाहते हैं जो कानूनन पोषणीय नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य है।
3. इस स्तर पर, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को "नॉट प्रेस्ड" (दबाव न डालने/आगे न बढ़ाने) के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
5. तदनुसार, वर्तमान याचिका "नॉट प्रेस्ड" के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

सकलन।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"